"यात्री प्लाजा" नाम से खानपान ईकाई का अनुबन्ध करने हेतु आवेदन–पत्र

1– प्रस्तावदाता (यात्री प्लाजा) का पूरा नाम एवं पता, वल्दियत सहित :——————————————

2– प्रस्तावदाता को विधि प्रास्थिति(हैसियत) यथा व्यक्तिगत/पार्टनरशिप फर्म/लिमिटेड, कम्पनी आदि फर्म/कम्पनी की ओर से आवेदन किया जा रहा है तो स्पष्ट करें। (पाटनरशिप डीड अथवा आर्टिकल एसोशिएशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :——————————————

3– यात्री प्लाजा से सम्बन्धित विवरण

3.1 स्थान का नाम (प्रस्तावानुसार) :——————————

3.2 मार्ग का नाम (प्रस्तावानुसार) :——————————

3.3 तहसील :——————————

3.4 पुलिस थाना :——————————

3.5 लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर अंकित कि0मी0 के अनुसार स्थान की स्थिति :——————————

3.6 यात्री प्लाजा का नाम (यदि कोई हो) :——————————

4– भूमि, जिस पर यात्री प्लाजा बनाया जाना है, का विवरण

कुल क्षेत्रफल————वर्गमीटर
सड़क पर फण्टेज———वर्गमीटर

4.1 भूमि का स्वामित्व, किसके नाम पर है (विवरण संलग्न करें)

4.2 भूमि पर यदि निर्माण है तो उल्लेख करें (निर्मित भवन का विवरण अंकित करते नक्शा संलग्न करें) :——————————

5– प्रतिबस ठहराव आवेदित दरें। (रू0 50/– प्रतिबस प्रतिठहराव से कम की दरें स्वीकार्य नहीं किया जायेगा) :——————————

6– यात्री प्लाजा के निर्माण को पुर्नद्धार कर निगम द्वारा चिन्हित सुविधाओं में स्वीकृत के दिनांक से लगने वाला समय कृपया 02 माह अनाधिक समय अंकित करे। :——————————

7– वर्तमान मे ंयदि यात्री प्लाजा संचालित है तो उपलब्ध सुविधाओं का विवरण अंकित करें। :——————————

8– यदि निगम द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधा दे सकते है, तो उसका विवरण :——————————

Downloaded from www.upsrtc.com

संलग्न करें।

9– क्या होटल/कैटरिंग कार्य/यात्री प्लाजा के संचालन का पूर्व अनुभव है
हॉ/नहीं
यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दें। :——————————————

10– चरित्र सत्यापन हेतु प्रमाण–पत्र देने वाले का नाम व पताः–

1–नाम———————————— 2–नाम————————————
पिता का नाम————————————— पिता का नाम——————————
पता——————————————
पता————————————— ——————————————
—————————————

11– नगर निगम द्वारा जारी खाद्य नियंत्रक एवं FSSAI की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो छायाप्रति संलग्न करें।

12– सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक से निर्गत चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र।

नोटः हैसियत, पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र अनुबन्ध से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

स्थान : ——————————
दिनांकः —————————— **आवेदक के हस्ताक्षर**

घोषणा

मैं/हम शपथपूर्वक यह घोषणा करते हैं कि ऊपर मेरे/हमारे द्वारा दिया गया विवरण सही तथा सत्य है। मैंने यात्री प्लाजा को अधिकृत करने विषयक परिवहन निगम द्वारा निर्गत नियम एवं शर्तें भलीभॉति पढ़ एवं समझ ली है, जिसे मैं आबद्ध करने हेतु सहमत हूँ।

स्थान : ————————————
दिनांकः ———————————— **आवेदक के हस्ताक्षर**

Downloaded from www.upsrtc.com

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाष:पी.बी.एक्स. 2622363, 2627111
फैक्स:0522-2615526, 2628841, 26235786

उ0प्र0 परिवहन निगम अपने संचालित मार्गों पर सुव्यवस्थित खानपान सुविधा हेतु यात्री प्लाजा योजना की नियम एवं शर्तें :–

उल्लेखनीय है कि सितम्बर–2016 में यात्री प्लाजा के अनुबन्धन हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक का प्रस्ताव अनुमोदनोपरान्त किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत है:–

1. मेरठ क्षेत्र दिल्ली–मुरादाबाद(डाउन), मुरादाबाद–दिल्ली(अप), दिल्ली–बिजनौर–बदायूं
2. फैजाबाद क्षेत्र फैजाबाद–लखनऊ मार्ग (अप),
3. सहारनपुर क्षेत्र दिल्ली–हरिद्वार मार्ग (अप)
4. अलीगढ़ क्षेत्र अलीगढ़–टप्पल–पलवल (अप)
5. मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद–बरेली मार्ग (अप) , मुरादाबाद–अलीगढ़ मार्ग
6. हरदोई क्षेत्र गोला–शाहजहॉपुर मार्ग (अप), कानपुर–दिल्ली माग, लखनऊ–बरेली मार्ग

पूर्व से संचालित यात्री प्लाजा:–

1– लखनऊ क्षेत्र लखनऊ–इलाहाबाद, रायबरेली–कानपुर, लखनऊ–सुल्तानपुर,
2– कानपुर क्षेत्र इटावा–औरैया, कानपुर–औरैया,
3–गाजियाबाद क्षेत्र दिल्ली–अलीगढ़, अलीगढ़–दिल्ली, दिल्ली–आगरा, कोटद्वार –दिल्ली,
4–मुरादाबाद क्षेत्र दिल्ली–बरेली, बरेली–दिल्ली, मुरादाबाद–अलीगढ़, मुरादाबाद–हरिद्वार
5– मेरठ क्षेत्र मुरादाबाद–दिल्ली
6– आगरा क्षेत्र आगरा–मथुरा–दिल्ली, दिल्ली–मथुरा–आगरा।
7– सहारनपुर क्षेत्र दिल्ली–हरिद्वार (डाउन), हरिद्वार–दिल्ली(अप), दिल्ली–कोटद्वार (अप), कोटद्वार–दिल्ली(डाउन)

उक्तानुसार पूर्व से उल्लिखित मार्गों पर अनुबन्धित यात्री प्लाजाओं को छोड़कर जिनकी अनुबन्ध अवधि शेष है।

Downloaded from www.upsrtc.com

1– निगम द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में यात्री बाहुल्य मार्गों जिनमें लगभग प्रस्थान प्रति दिवस निर्धारित हों, के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों से 80 कि0मी0 (+/–10 कि0मी0) के स्थानों पर ही यह व्यवस्था लागू की जायेगी। इकाई के ऊपर भाग में न्यूनतम 5X15 फुट एवं सड़क की ओर डबल साइड के 6X6 फुट बोर्ड द्वारा परिवहन निगम का अधिकृत "यात्री प्लाजा" सम्बन्धी पोल या एंगिल माउंण्डेड 8 फुट ऊंचा डिस्पले सड़क की ओर रखा जायेगा।

2– लम्बी दूरी की सेवाओं के यात्रियों के लिए 03 वर्ष के अनुबन्धन द्वारा इनके संचालन हेतु निविदा द्वारा प्रस्ताव प्राप्ति के लिए उन संचालकों को आबद्ध किया जायेगा–

क) जिनके पास अपने स्वामित्व या वैध लीज अनुबन्ध अवधि 03 वर्ष के लिए 4000 वर्गमीटर भू–स्थान का वैधानिक स्वामित्व/कब्जा हो और सामने का भाग न्यूनतम 50 मीटर चौड़ा हो।

ख) या उपरोक्त शर्तों अनुसार उच्चस्तरीय विकसित सुविधा उपलब्ध हो।

3– 1) क्षेत्रों के फोर–लेन मार्गों पर अप एवं डाऊन दिशा के लिए अलग अलग प्लाजा चिन्हित करें ताकि दुर्घटना की सम्भावना न रहें।
2) एक ही स्थान के लिये (अप अथवा डाउन) हेतु आवश्यकता से अधिक यात्री प्लाजा के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रति बस ठहराव पर अधिकतम धनराशि देने वाले बिडर को आंवटित किया जाएगा।
3) किसी चिन्हित स्थान पर यात्री प्लाजा प्रथम बार प्रारम्भ करने के लिये निर्माण/रेनोवेशन हेतु क्षेत्रीय समिति द्वारा अधिकतम तीन माह का समय दिया जाय।

4– संचालक द्वारा अपनी इकाई में अग्र भाग में ही बस यात्रियों के खानपान स्थान हेतु न्यूनतम 40 व्यक्तियों के लिये फर्नीचर, निःशुल्क प्यूरीफाइड वाटर, 2 महिला व 4 पुरूष शौचालय तथा 6 यूरिनल सीट सहित प्रसाधन व्यवस्था, 8 सीलिंग फैन, वॉशबेसिन, टॉवेल, साबुन की अनिवार्य व्यवस्था सुलभ कराना अनिवार्य होगा।

5– संचालन हेतु एफ.डी.ए/एगमार्क मानकों का अनुसरण अनिवार्य होगा तथा कोई भी विचलन दण्डनीय होगा। इसी प्रकार खाद्य प्रदार्थों को तैयार करने में प्रयुक्त एडबिल ऑयल आदि हानिकारक फैट कन्टेण्ट व लो–सैचुरेटेड फैट के दृष्टिकोण से उच्चतर मानकों के अनुरूप प्रयुक्त करना अनिवार्य होगा।

6– सामान्य बस यात्रियों की आवश्यकताओं हेतु रु0 40/– में 4 रोटी (30 ग्राम0 प्रत्येक), सीजनल सब्जी (100 ग्राम), 150 एम.एल.गाढ़ी दाल, एक मीडियम कटोरी चावल, व रु0 25/– में पैक्ड पांच पूड़ी (न्यूनतम 35 ग्राम प्रत्येक) व एक सूखी

Downloaded from www.upsrtc.com

सब्जी आलू/सीजनल एवं आचार (न्यूनतम 10 ग्राम) व रू0 30/– पैक्ड 2 स्लाइस की वेज सैंडविच तथा एक कटलेट (100 ग्राम) के जनता/पैक्ड पैकेज की उपलब्धता करायी जायेगी। शेष आईटमों को तैयार करने व उनके विक्रय दरों पर संचालक स्वतंत्र होगा परन्तु किसी भी पैक्ड खाने की या अन्य सामग्री को अंकित एम.आर.पी. सीमा में ही वह विक्रय करेगा। 200 कि0मी0 या इससे लम्बी दूरी की बस के क्रू को उसे निःशुल्क (न्यूनतम जनता थाली के समतुल्य) निःशुल्क भोजन कराना होगा।

7– एकल दिशा में 200 कि0मी0 या अधिक की सेवायें इन सीन पर अधिकतम 25 मिनट के लिए हाल्ट लेंगी। इससे कम दूरी की वे ही सेवायें इस स्थान पर अधिकतम 10 मिनट केवल पैक्ड आईटम बस में ही बैठे यात्रियों को सुलभ कराने के लिए रूक सकेगी।

8– संचालक को बस यात्रियों हेतु निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सत्यापित पृष्ठ संख्या की एक सुझाव/परिवाद पुस्तिका रखनी होगी, जिसका पाक्षिक निरीक्षण स0क्षे0प्र0 एवं मासिक निरीक्षण क्षेत्रीय/सेवा प्रबन्धक अनिवार्यतः करेंगे।

9– संचालक के किचिन व्यवस्थाओं के रूप में उसकी स्वच्छता, डीप–फ्रीजर, कम से कम 16 के.वी.ए. का जनरेटर, गैस प्रयोग की स्थिति में कॉमर्शियल कनेक्शन या कुकिंग कोल प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थायें अनुमन्य होगी।

10– संचालक को प्रत्येक सामग्री अपनी इकाई के अग्र भाग में न्यूनतम दो स्थानों पर विक्रय दर प्रदर्शित करते हुए ही विक्रय की अनुमति होगी।

11– संचालक के चयन हेतु अधिकतम भुगतान प्रति आगमन/प्रस्थान की आवेदकों को आंवटित किया जायेगा। यात्री हेतु आवश्यक सुविधाओं यथा–उत्तम कैफेटेरिया स्थान, प्रसाधन, अग्र भाग में बस पार्किंग आदि सुविधायें देखते हुए ही क्षेत्रीय समिति प्रस्तावों की उपयुक्तता आंकेगी। इसके साथ ही उससे समस्त नियमों व शर्तों अनुसार व्यवस्था उपलब्ध होने व अग्रेतर संचालन अवधि के लिए उनका शत–प्रतिशत अनुपालन करने सम्बन्धी शपथ–पत्र लेकर ही अनुबन्ध किया जायेगा।

12– भू–स्वामी/यात्री प्लाजा स्वामी के पास न्यूनतम तीन वर्ष होटल मैनेजमेट एवं कैटरिंग कार्य का अनुभव होना चाहिए।

13– प्रस्तावित व्यवस्थाओं के अनुबन्ध से पूर्व निरीक्षण व भौतिक सत्यापन हेतु क्षेत्रीय समिति तथा नोडल अधिकारी को दायित्व सौपते हुए अनुबन्ध कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वार प्रस्तावों पर निम्न मेरिट्स पर विचार किया जायेगा–

क– अनुमोदित स्थान पर प्राप्त हुआ प्रस्ताव बस एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित व उपयुक्त हो।

Downloaded from www.upsrtc.com

ख– भू–खण्ड के न्यूनतम आकार व फ्रंण्टेज व समुचित संख्या में हाईजेनिक स्वच्छ व सुरक्षित प्रसाधन सुविधाओं की न्यूनतम अर्हता पूर्ण हो। ऐसे में अधिक बसों हेतु स्थान निर्णायक फैक्टर के रूप में प्रयुक्त होगा।

ग– बस यात्री के लिए निर्धारित/निर्मित होने वाला कैफेटेरिया की फ्लोरिंग टाइल/मार्बल, फर्नीचर में टेबिल लेमिनेटेड व कुर्सी नयी व आरामदेह हों। इलैक्ट्रिकल फिक्चर्स व फिटमेण्ट अच्छी क्वालिटी के हों।

घ– किसी स्थान के लिए एक के अधिक प्रस्ताव प्राप्ति पर अधिकतम बोलीदाता को क्षेत्रीय समिति एक ही दिवस निरीक्षण कर चयन अर्हता हेतु निर्धारित बिन्दुओं के दृष्टिगत, इनके विषयक डेट अंकन सहित फोटोग्राफ रिकार्ड में रखकर निर्णय लेगी।

ङ– जो टेण्डरदाता निविदा के समस्त निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के साथ सन्दर्भित यात्री प्लाजा पर प्रतिबस प्रति हॉल्ट अधिकतम हॉल्टेज चार्ज की दर प्रस्तावित करेगा, उसी निविदादाता को यात्री प्लाजा के संचालन हेतु चयनित किया जायेगा।

च– प्रत्येक यात्री प्लाजा हेतु अनुबंध सिक्योरिटी के रूप में रु0 50,000(रुपये पचास हजार मात्र) जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

छ– यात्री प्लाजा का अनुबन्ध अधिकतम तीन वर्ष के लिए ही किया जायेगा।

ज– इच्छुक आवेदक अपना प्रस्ताव रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) सिक्योरिटी मनी के साथ अपना आवेदन समबन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में दिनांक 31.03.17 तक प्रस्तुत करेगे। अधिकतम प्रति आगमन/प्रस्थान भुगतान करने वाले प्रतिस्थान आवेदक को चयनित किया जायेगा। सफल निविदाताओं के सिक्योरिटी को छोड़कर अन्य निविदाताओं की सिक्योरिटी वापस कर दी जायेगी।

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0)

Downloaded from www.upsrtc.com

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

निविदा प्रस्ताव ''यात्री प्लाजा''

उ0प्र0 परिवहन निगम बस यात्रियों के सुविधार्थ खान–पान एवं प्रसाधन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय से 80 कि0मी0 (+/- 10 कि0मी0), मुख्य मार्गों पर यात्री प्लाजा मानक के अनुरूप 03 वर्ष के लिये अनुबन्ध के आधार पर संचालित करने के लिए सितम्बर–2016 एवं उससे पूर्व से अनुबन्धित यात्री प्लाजाओं (जिनकी अनुबन्ध अवधि शेष है) के अतिरिक्त निगम में चिन्हित अन्य मार्गों में अप–डाउन यात्री सुविधा हेतु अनुबन्ध के आधार पर संचालित करने के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा की नियम/शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निगम की बेब साइट –www.upsrtc.com से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। समस्त निविदा प्रपत्र निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार पूर्ण करके अपेक्षित संलग्नकों के साथ सील्ड बन्द लिफाफे में सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में अन्तिम तिथि 31.03.2017 समय–17:00 से पूर्व व्यक्तिगत रूप से जमा किए जायेंगे।

मुख्य प्रधान प्रबन्धक
(सचा0)

Downloaded from www.upsrtc.com